

पत्रांक-श्रम क० सं०-10/2018-392

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) एवं दुर्घटना मृत्यु में 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल ₹ 260000/- (दो लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रित का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम (संबंध) | जिला पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि | मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|----------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | स्व० मो० वासील नदाफ, 55, मो० बुचू नदाफ, सामान्य | श्रीमती बीबी अजमुन (पत्नी) | 347/2.7. 2018 | ग्रा०+पो०-तुल्लापट्टी, था०+प्र०-पिपरा, सुपौल | 2364065 095 | CBI, KATAIYA, SUPAUL, CBIN0282446 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर |
| 2 | स्व० बिरेन्द्र भूषणबनर्जी, 53, स्व० राधाकान्त बनर्जी, सामान्य | श्रीमती ज्योति बनर्जी (पत्नी) | 371/10. 07.2018 | ग्रा०-चकला निर्मली, वार्ड नं०-07, सुपौल, था०+जि०-सुपौल | 3463320 8453 | भारतीय स्टेट बैंक, सुपौल SBIN0014336 | ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, बिजली मिस्त्री का कार्य |
| 3 | स्व० उमेश मुखिया, 26, श्री जलधर मुखिया, अ० पि० वर्ग | श्रीमती चुनर देवी (पत्नी) | 372/10. 07.2018 | ग्रा०-बैरो टोला, नवटोल, पो०+प०-बैरो, वार्ड नं०-02, था०+प्र०+जि०-सुपौल | 1081001 0300040 92 | UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, BAIRO, SUPAUL, CBINOR10001 | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर |
| 4 | स्व० ज्ञानी मुर्मू, 63, स्व० पुरन मुर्मू, अनु० जन जाति | श्रीमती ललिता देवी (पत्नी) | 373/10. 07.2018 | ग्रा०-संधाली टोला कर्णपुर, पो०-कर्णपुर, वार्ड नं०-06, था०+प्र०+जि०-सुपौल | 3364425 8716 | SBI, SUPAUL SBIN0000190 | ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, रिक्शाचालक |

कुल :- ₹ 260000/-

(दो लाख साठ हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-10/2018 के पृष्ठ-13/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-10/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित

को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018-392


पटना, दिनांक :- 21-8-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 260000/- (दो लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सुपौल को उनके पत्रांक 347 दिनांक 2.7.18, 371, 372, 373 दिनांक 10.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।